प्रेषक

अधिशासी अभियन्ता
सरयू नहर खण्ड–4,
बहराइच।

प्रेषित

निदेशक,
सूचना एंव जनसम्पर्क विभाग
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 53/स0न0ख0–4/नीलामी/ दिनांक–18/01/2019

विषय –: नीलामी सूचना सं0–04/अ0अ0/स0न0ख0–4/2018–19

महोदय,

आपके पास नीलामी सूचना सं0–04/अ0अ0/स0न0ख0–4/2018–19 की 02 प्रतियां मय सी0डी0 सहित इस कथन के साथ प्रेशित है कि इन्हे उ0प्र0 में निम्नलिखित 02 दैनिक समाचार पत्रों में दो–दो दिवस के अन्तराल से दो बार प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा नीलामी सूचना से सम्बन्धित समाचार पत्रों की एक–एक प्रति इस कार्यालय को सन्दर्भ हेतु भेजने की कृपा करें। कृपया इसे अपने वेबसाइट पर भी प्रकाशित करने की कृपा करें।

क्रम सं0	समाचार पत्र का नाम	विज्ञापन संबंधी स्थान	छपने की संख्या	तिथि तक
1	2	3	4	5
01.	हिन्दुस्तान	बहराइच	दो बार	30.01.2019
02.	दैनिक जागरण	बहराइच	दो बार	तदैव

संलग्नक – 01. नीलामी सूचना 02 प्रति
02. नीलामी सूचना सी0डी0 01 अदद।

अधिशासी अभियन्ता
सरयू नहर खण्ड–4,
बहराइच।

पत्रांक–53/स0न0ख0–4/नीलामी/तदिनांक –

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. मुख्य अभियन्ता (स0प0–1/2) सिंचाई विभाग, उ0प्र0 फैजाबाद/गोण्डा।
02. अधीक्षण अभियन्ता, नवम् मण्डल सिंचाई कार्य बहराइच।
03. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई निर्माण मण्डल, बहराइच।
04. अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को सी0डी0 के साथ सिंचाई विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित कराने हेतु।
05. जिलाधिकारी बहराइच।
06. पुलिस अधीक्षक, बहराइच।
07. अधिशासी अभियन्ता, प्रथम/तृतीय/पंचम/षष्टम/सप्तम एवं स0ड्रे0ख0–प्रथम, बहराइच।
08. अधिशासी अभियन्ता सरयू नहर खण्ड एंव सरयू नहर खण्ड – प्रथम, नानपारा बहराइच।
09 जिला सूचना अधिकारी, बहराइच।
10. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, बहराइच।
11. कोषाधिकारी, बहराइच।
12. अध्यक्ष ठेकेदार संघ कल्पीपारा, बहराइच।
13. सहायक अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ एंव पंचम, सरयू नहर खण्ड –चतुर्थ, बहराइच।
14. वास्ते नोटिस बोर्ड।

संलग्नक :– 01 अदद।

अधिशासी अभियन्ता
सरयू नहर खण्ड–4,
बहराइच।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
सरयू नहर खण्ड–4, बहराइच।

नीलामी सूचना संख्या – 04/अ0अ0/स0न0ख0–4/2018–19

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सरयू नहर खण्ड–4, बहराइच (सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग) की जीप निष्प्रयोज्य घोषित हो गयी है। इसकी नीलामी दिनांक–02.02.2019 को अपरान्ह 3.00 बजे आफिसर्स फील्ड हॉस्टल नं0–01 कल्पीपारा बहराइच में होगी। इच्छुक व्यक्ति सरयू नहर खण्ड–4, बहराइच के स्टोर में उपलब्ध जीप का अवलोकन किसी भी कार्य दिवस/कार्यालय अवधि में कर सकते हैं। उक्त जीप का विवरण नीलामी की शर्तें, नीलामी सूचना में अंकित है। नीलामी की बोली में भाग लेने हेतु जमानत धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट जो ''अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड–4, बहराइच'' के पक्ष में हो, के रूप में जमा करना होगा। जमानत धरोहर धनराशि नकद के रूप में भी स्वीकार होगी।

लाट नं0	नीलामी का विवरण	स्थल	बोली की तिथि	जमानत धनराशि (रू0)
1	2	3	4	5
01	जीप U.P. 40 A 2445 (Model 1996)	आफिसर्स फील्ड हॉस्टल नं0–01 कल्पीपारा बहराइच	20.02.2019	8500.00

नीलामी सूचना सम्बन्धी मुख्य शर्तें :–

01. नीलामी निर्धारित तिथि को समिति के समक्ष की जायेगी।
02. किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार अध्यक्ष नीलामी समिति को होगा।
03. नीलामी की बोली में भाग लेने हेतु निर्धारित जमानत धरोहर किसी राष्ट्रीकृत बैंक ड्राफ्ट जो ''अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड–4, बहराइच'' के पक्ष में हो, के रूप में जमा करना होगा। जमानत धनराशि नकद के रूप में भी स्वीकार होगी।
04. लाट की बोली समाप्ति पर अधिकतम बोली दाता की बोली स्वीकार करने के तुरन्त बाद बोली से पूर्व जमा की गयी धनराशि को समायोजित करते हुए स्वीकार बोली 50 प्रतिशत उसी समय उच्चतम दाता द्वारा नगद जमा करना होगा ऐसा न करने पर जमानत स्वरूप जमा की गयी धनराशि शासन के हित में जब्त कर ली जायेगी। तथा दूसरी अधिकतम दर दाता को अवसर दिया जायेगा। प्रथम तथा द्वितीय अधिकतम बोली दाता को छोड़कर सभी की जमानत धनराशि नीलामी के तुरन्त बाद उचित रसीद प्राप्त कर वापस कर दी जायेगी।
05. शेष 50 प्रतिशत सक्षम अधिकारी से नीलामी का अनुमोदन प्राप्त होने तथा स्वीकृति पत्र इस कार्यालय से निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर जमा करनी होगी। यदि वह ऐसा नही करता है तो उसके द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धनराशि शासन के हित में जब्त कर ली जायेगी।
06. उच्चतम बोली सक्षम अधिकारी के अनुमोदन हो जाने पर ही मान्य होगी। यदि उच्चतम बोली सक्षम अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दी जाती है तो बोली दाता का कोई भी क्लेम मान्य नही होगा। अनुमोदन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
07. विभाग को नोटिस में दर्शायी गयी मात्रा को घटाने/बढ़ाने अथवा दरों के किसी भी भाग को रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।
08. उच्चतम बोलीदाता को दरों की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर शेष 50 प्रतिशत धनराशि जमा कर जीप को उठाना होगा। यदि निर्धारित समय पर नहीं उठाया जाता है तो शासन को हुए किसी भी हानि को पूर्ण करने के अतिरिक्त अपनी दर के 1 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ग्राउन्ड रेन्ट देना होगा, देखभाल का भी प्रबन्ध स्वयं करना होगा। स्वीकृति की सूचना विभाग द्वारा दिया जायेगा।
09. किसी भी विवाद की स्थिति में उच्चतम दर को अनुमोदित करने वाले अधिकारी का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।
10. नीलामी के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही, जनपदीय कार्यालय बहराइच के न्यायालय में ही मान्य होगा।
11. उच्चतम बोलीदाता को अपने निवास स्थान का पूरा एवं सही पता देना होगा अन्यथा किसी भी प्रकार की हानि के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।
12. बोली के समय अनुमति प्रदान किये गये बोली दाताओं तथा कमेटी में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति कक्ष में मान्य नही होगी।
13. नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर बिना कारण बताये संशोधन, परिर्वतन एवं निरस्त करने का पूर्ण अधिकार विभाग को होगा।
14. उक्त वाहन की नीलामी जिस स्तर में खड़ी है, उसी के आधार पर होगी।
15. नीलामी प्रक्रिया में उन्हीं व्यक्तियों अथवा फर्म को भाग लेने दिया जायेगा जो अपना फोटो पहचान पत्र, निवास स्थान/कार्यालय के पते नोटरी से सत्यापित करा कर प्रस्तुत करेंगे तथा फर्म के प्रतिनिधियों को फर्म द्वारा प्रदत्त अधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा।
16. बोलीदाता को अपना फोटो पहचान पत्र निवास/स्थान कार्यालय के पते नोटरी से सत्यापित कराकर नीलामी समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
17. नीलामी के सम्बन्ध में किसी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही बहराइच जनपद के सक्षम न्यायालय में ही की जा सकती है अन्यथा नहीं।
18. नीलामी में भाग लेने वाले ठेकेदार/फर्म को जी0एस0टी0 में पंजीकृत होना आवश्यक है। पैन कार्ड की छायाप्रति भी प्रस्तुत करना होगा।

विशेष शर्तें :–

01. बोली के समय अनुमति प्रदान किये गये बोली दाताओं तथा कमेटी में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी के अलावा और कोई नीलामी कक्ष में उपस्थित नहीं रहेगा।
02. जी0एस0टी0 के अतिरिक्त सरकार द्वारा यदि कोई अन्य कर देय होता है तो स्वीकार की गई बोली पर बोलीदाता को उसका भुगतान करना होगा।
03. नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर बिना कारण बताये संशोधन, परिर्वतन एवं निरस्त करने का पूर्ण अधिकार विभाग को होगा।

अधिशासी अभियन्ता
सरयू नहर खण्ड–4,
बहराइच।